

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) चित्तौडगढ़

दिनांक: - / / 20

क्रमांक: - भू.अ. / 20 /

प्रेषित: श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
चित्तौडगढ़

महोदय, निवेदन है कि प्रार्थी / प्रार्थीयान श्री लाडू लाल पिता डालू भाट डोलपुर प.ह. रोलाहेड़ा के राजस्व ग्राम डोलपुर में जमाबन्दी संवत् 2078-81 की खाता संख्या 216, 141 में जाति / नाम दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि. ने सम्मानजनक जाति / नाम लाडू लाल किये जाने की रिपोर्ट की है। सम्मानजनक जाति / नाम लाडू लाल को अंकन राजस्व रिकार्ड में किया जाना उचित है। दोनों जातियाँ (पूर्व एवं वर्तमान संशोधन से सर्वाधिक जाति) अनुसूचित जाति श्रेणी के ही अन्तर्गत आती हैं / दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। जाति संशोधन की स्थिति में राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 (बी) का उल्लंघन भी नहीं होता है। अतः संशोधन किया जाना उचित है।

तहसीलदार चित्तौडगढ़

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ़ जिला चित्तौडगढ़ राज

दिनांक: 17/10/2025

क्रमांक: - सीडर / 2025 / 848

निमित्त: पटवार हल्का रोलाहेड़ा

विषय: - सम्मानजनक जाति / नाम दर्ज करने का मत।
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 135 प्रार्थना-पत्र प्रार्थी / प्रार्थीयान के अनुसार श्री लाडू लाल पिता डालू भाट राजस्व ग्राम डोलपुर प.ह. रोलाहेड़ा की खाता संख्या 216, 141 में जाति / नाम लाडू दर्ज है। जिसे सम्मानजनक जाति के रूप में रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि. द्वारा की गई है। तहसीलदार चित्तौडगढ़ द्वारा भी जाति सम्मानजनक किये जाने की अनुशंसा प्राप्त हुई है।
अतः प्रार्थी / प्रार्थीयान श्री लाडू लाल पिता डालू भाट जाति / नाम लाडू लाल एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 135 के तहत संशोधित करने की स्वीकृत एतद द्वारा दी जाती है। प.ह. राजस्व रिकार्ड उपरोक्तानुसार अमल की पालना पेश करे।

प्रतिलिपि: - तहसीलदार चित्तौडगढ़ पालना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ़
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ़